



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 852]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 13, 2011/वैशाख 23, 1933

No. 852]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 13, 2011/VAISAKHA 23, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2011

(आय-कर)

का.आ. 1049(अ).—जबकि, करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत गणराज्य की सरकार और बहामास राष्ट्रमंडल की सरकार के बीच करार पर 11 फरवरी, 2011 को नसाऊ, बहामास में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे (जिसे इसके बाद उक्त करार कहा जाएगा);

और जबकि, उक्त करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 2 के अनुसरण में, उक्त करार को प्रवृत्त करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथाअपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने से संबंधित अधिसूचनाओं में से परवर्ती अधिसूचना की तारीख होने के कारण, उक्त करार के प्रवृत्त होने की तारीख 1 मार्च, 2011 है;

और जबकि, उक्त करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 2 में व्यवस्था की गई है कि करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाली सभी कर योग्य अवधियों के लिए अथवा जहां पर प्रभावी अवधि नहीं है, वहां करार के हस्ताक्षर होने की तारीख को अथवा उसके बाद उत्पन्न होने वाले कर पर सभी प्रभारों के लिए उक्त करार के उपबंध अनुच्छेद-1 में वर्णित सभी मामलों के संबंध में लागू होंगे।

अतः अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत गणराज्य की सरकार और बहामास राष्ट्रमंडल की सरकार के बीच करार के सभी उपबंध, जैसाकि उससे संबंधित अनुबंध में निर्धारित किए गए हैं, करार के हस्ताक्षर होने की तारीख (अर्थात् 11 फरवरी, 2011) को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाली सभी कर योग्य अवधियों के लिए अथवा जहां कोई कर योग्य अवधि नहीं है वहां करार के हस्ताक्षर होने की तारीख को अथवा उसके बाद उत्पन्न कर पर सभी प्रभारों के लिए अनुच्छेद-1 में वर्णित सभी मामलों के संबंध में, भारत संघ में प्रभावी होंगे।

[अधिसूचना सं. 25/2011/फा. सं. 503/6/2009-एफटीडी-1]

संजय कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

उपाबंध

करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान

हेतु

भारत गणराज्य की सरकार

और

बहामास राष्ट्रमण्डल की सरकार

के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और बहामास राष्ट्रमण्डल की सरकार, करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान को सुगम बनाने की इच्छा से, निम्नानुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद 1**करार का उद्देश्य एवं कार्य-क्षेत्र**

संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से, जो कि इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में संविदाकारी पक्षों के घरेलू कानूनों के प्रशासन एवं प्रवर्तन से अनुमानतः संगत हैं, सहायता उपलब्ध कराएंगे, । ऐसी सूचना में वह जानकारी शामिल होगी जो अनुमानतः ऐसे करों के निर्धारण, मूल्यांकन और संग्रहण, कर दावों की वसूली और प्रवर्तन अथवा कर मामलों की जांच-पड़ताल या अभियोजन से संबंधित है । इस करार के उपबंधों के अनुसार सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा और उसे अनुच्छेद 8 में उपलब्ध कराए गए तरीके में गोपनीय माना जाएगा । अनुरोधित पक्ष के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा द्वारा व्यष्टियों को प्राप्त कराए गए अधिकार और रक्षोपाय उस सीमा तक प्रयोज्य रहेंगे जहां तक कि वे सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान में अनुचित रूप से बाधा न डालें अथवा उसे विलम्बित न करें ।

अनुच्छेद 2 क्षेत्राधिकार

सूचना का आदान-प्रदान इस करार के अनुसार किया जाएगा, इस बात का ध्यान किए बिना कि वह व्यक्ति जिससे ये सूचना संबंध रखती है अथवा जिसके द्वारा सूचना धारित की गई है, किसी एक संविदाकारी पक्ष का निवासी है। तथापि, अनुरोधित पक्ष ऐसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए बाध्यकारी नहीं है जो न तो उसके प्राधिकारियों के पास है और न ही उन व्यक्तियों के पास अथवा नियंत्रण में है, जो उसके राज्य-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में हैं।

अनुच्छेद 3 सम्मिलित कर

1. कर, जो इस करार के विषय हैं, इस प्रकार हैं :

क) भारत में : केन्द्रीय सरकार अथवा राजनीतिक उप-प्रभागों की सरकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार तथा विवरण के कर, इस बात का विचार किए बिना कि वे किस तरीके से लगाए गए हैं ;

ख) बहामास में : प्रत्येक प्रकार और विवरण के कर ।

2. यह करार, विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर इस करार के हस्ताक्षरित होने की तारीख के बाद लगाए गए किन्हीं समरूप अथवा पर्याप्त रूप से समान करों पर भी लागू होगा। संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी कराधान और संचयन के सूचना से संबंधित सूचना के संबंध में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को एक उचित समय के भीतर अधिसूचित करेंगे, जो इस करार के अनुसरण में उस पक्ष की बाध्यताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

अनुच्छेद 4 परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक कि अन्यथा परिभाषित न किया जाए :

क) पद "भारत" से तात्पर्य भारत का भू-क्षेत्र और इसमें सीमांतर्गत समुद्र और उस के ऊपर का हवाई क्षेत्र तथा कोई अन्य समुद्रवर्ती क्षेत्र है जिस पर

भारतीय कानून के अनुसार तथा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत का प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार हैं;

- ख) पद "बहामास" से तात्पर्य बहामास राष्ट्रमण्डल से है जिसमें भूमि, राज्यक्षेत्रीय जल और अंतरराष्ट्रीय कानून तथा बहामास के कानूनों के अनुसार राज्यक्षेत्रीय जल के बाहर का कोई क्षेत्र सम्मिलित है जिसमें विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और समुद्रतल तथा अवमृदा शामिल है जिस पर प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण, दोहन तथा संरक्षण के प्रयोजनार्थ बहामास के क्षेत्राधिकार एवं प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारों का प्रयोग करता है ;
- ग) पद "संविदाकारी पक्ष" से तात्पर्य भारत अथवा बहामास से है, जैसा भी संदर्भ द्वारा अपेक्षित हो ;
- घ) पद "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य -
- (i) भारत के मामले में, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं ;
 - (ii) बहामास के मामले में, वित्त मंत्री अथवा मंत्री के प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं ;
- ङ) पद "व्यक्ति" में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का निकाय और कोई अन्य संस्था शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी पक्षों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत कराधेय इकाई के रूप में माना जाता है ;
- च) पद "कम्पनी" से तात्पर्य कोई निगमित निकाय अथवा कोई संस्था है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय माना जाता है ;
- छ) पद "सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनी" से तात्पर्य ऐसी किसी कम्पनी से है जिसके शेयरों का प्रमुख वर्ग किसी मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है बशर्ते उसके सूचीबद्ध शेयर सहज ही जनता द्वारा क्रय अथवा विक्रय किए जा सकते हों । शेयर "जनता द्वारा" क्रय अथवा विक्रय तभी किए जा सकते हैं यदि शेयरों का यह क्रय अथवा विक्रय

प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों ;

- ज) पद "शेयरों का प्रमुख वर्ग" से तात्पर्य वोट देने की शक्ति और कम्पनी के मूल्य के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों के वर्ग अथवा वर्गों से है;
- झ) पद "सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना" से तात्पर्य किसी निकाय में किए गए सामूहिक निवेश के साधन से है, चाहे उसका कानूनी रूप कुछ भी हो ;
- अ) पद "सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना" से तात्पर्य किसी सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना से है बशर्ते कि ऐसी निधि अथवा योजना में युनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को जनता द्वारा सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है । निधि अथवा योजना में युनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों का "जनता द्वारा" सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है यदि ऐसी खरीद, बिक्री अथवा पुनः प्राप्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों ;
- ट) पद "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" से तात्पर्य है -
- (i) भारत में, भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज ;
 - (ii) बहामास में, बहामास इंटरनेशनल सिक्यूरिटीज़ एक्सचेंज ; और
 - (iii) कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज, जिसे सक्षम प्राधिकारी इस करार के प्रयोजनार्थ मान्यता देने के लिए सहमत हों ;
- ठ) पद "कर" से तात्पर्य ऐसा कर है, जिस पर यह करार लागू होता है ;
- ड) पद "अनुरोध करने वाले पक्ष" से तात्पर्य, उस संविदाकारी पक्ष से है जो अनुरोधित पक्ष से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करता है अथवा उनसे सूचना प्राप्त करता है ;

1712 ८९११-२

- ढ) पद "अनुरोधित पक्ष" से तात्पर्य उस संविदाकारी पक्ष से है जिससे सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है अथवा जिसने सूचना उपलब्ध कराई है ;
- ण) पद "सूचना एकत्र करने वाले उपाय" से तात्पर्य कानूनी और प्रशासनिक अथवा न्यायिक कार्य प्रक्रियाओं से है जो किसी संविदाकारी पक्ष को अनुरोध की गई जानकारी प्राप्त करने और उपलब्ध कराने में सक्षम बनाते हैं ; और
- त) पद "सूचना" से तात्पर्य कोई तथ्य, दस्तावेज अथवा रिकार्ड से है, चाहे वह किसी भी रूप में हो ।

2. जहां तक किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का संबंध है, इसमें परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, अथवा सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद -12 के उपबंधों के अनुसरण में किसी आम अर्थ पर सहमत न हो, वहीं अर्थ होगा जो उस पक्ष के कानून के तहत उस समय हो, उस पक्ष के प्रयोज्य कर कानूनों के अंतर्गत कोई अर्थ उस पक्ष के अन्य कानूनों के तहत पद को दिए गए अर्थ की तुलना में रहता है ।

अनुच्छेद 5

अनुरोध पर सूचना का आदान-प्रदान

1. अनुरोध किए जाने पर अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुच्छेद 1 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए सूचना उपलब्ध कराएगा । ऐसी सूचना का आदान-प्रदान इस बात का विचार किए बिना किया जाएगा कि क्या अनुरोध करने वाले पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर-प्रयोजनों के लिए है अथवा क्या वह आचरण जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है, वह अनुरोधित पक्ष के अंतर्गत अपराध होगा यदि ऐसा आचरण अनुरोधित पक्ष में घटित होता है ।

2. यदि अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के आधिपत्य में कोई सूचना उस रूप में पर्याप्त नहीं है कि वह सूचना के लिए किए गए अनुरोध को पूरा करने में समर्थ हो तो वह पक्ष अनुरोधित सूचना को अनुरोध करने वाले पक्ष को उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रासंगिक सूचना एकत्र करने के सभी उपायों का प्रयोग करेगा इस बात का ध्यान किए बिना कि

अनुरोधित पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए नहीं भी हो सकती है।

3. यदि अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है तो अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी गवाहों के अभिसाक्ष्य तथा मूल रिकार्डों की अधिप्रमाणित प्रतियों के रूप में अपने घरेलू कानूनों के तहत अनुज्ञेय सीमा तक, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराएगा।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सक्षम प्राधिकारी को, इस करार के प्रयोजनार्थ अनुरोध पर निम्न को प्राप्त करने और उपलब्ध कराने का प्राधिकार रखता है :

क) बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, किसी एजेंसी अथवा न्यासी क्षमता में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति, जिसमें नामजद व्यक्ति और न्यासी भी शामिल है, द्वारा धारित कोई सूचना ;

ख) कम्पनियों के कानूनी और लाभग्राही स्वामित्व, भागीदारी, सामूहिक निवेश निधियाँ अथवा स्कीमें, न्यासी, फाउंडेशन, "आन्सटालटन" और अन्य व्यक्ति, जिनमें अनुच्छेद 2 की सीमाओं के अंतर्गत किसी स्वामित्व श्रृंखला में सभी ऐसे व्यक्तियों की स्वामित्व सूचना सहित सामूहिक निवेश निधियों अथवा स्कीमों के मामले में, शेयरों, यूनिटों और अन्य हितों के बारे में सूचना, न्यासों के मामले में अवस्थापक, न्यासियों और लाभभोगियों के संबंध में सूचना, संस्था के मामले में संस्थापकों, संस्था परिषद के सदस्यों और लाभग्राहियों के बारे में सूचना और ऐसी सत्ताओं के बारे में ऐसी ही जानकारी जो न तो न्यास हैं और न ही संस्था है।

5. यह करार सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनियों अथवा सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधियाँ अथवा स्कीमों के संबंध में स्वामित्व संबंधी सूचना प्राप्त करने अथवा उपलब्ध कराने के लिए संविदाकारी पक्षों को बाध्य नहीं बनाती जब तक कि ऐसी सूचना विषम कठिनाईयाँ बढ़ाए बिना प्राप्त की जा सकती हो।

6. अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी अनुरोध के साथ सूचना की अनुमानित प्रासंगिकता का प्रदर्शन करने के लिए करार के तहत सूचना के लिए अनुरोध करते समय अनुरोध किए जाने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएंगे :

- क) जांच अथवा पूछताछ के अंतर्गत करदाता की पहचान ;
- ख) यदि परिचित हो, तो उस व्यक्ति की पहचान, जिसके संबंध में जानकारी के लिए अनुरोध किया जा रहा है, यदि वह व्यक्ति उप-पैराग्राफ (क) में करदाता नहीं है ;
- ग) वह अवधि, जिसकी सूचना के लिए अनुरोध किया गया है ;
- घ) अनुरोध की गई सूचना का स्वरूप तथा वह प्रारूप जिसमें अनुरोध करने वाला पक्ष उसे प्राप्त करने को प्राथमिकता देगा ;
- ङ) कर प्रयोजन जिसके लिए सूचना मांगी गई है;
- च) यह विश्वास करने के कारण कि अनुरोध की गई सूचना अनुरोधित पक्ष के पास है अथवा अनुरोधित पक्ष के क्षेत्राधिकार के भीतर किसी व्यक्ति के अधिकार अथवा नियंत्रण में है ;
- छ) जहां तक संभव हो किसी व्यक्ति का नाम और पता, जिसके पास अनुरोधित सूचना होने अथवा उसके नियंत्रण में होने का अनुमान है ;
- ज) कानूनी प्रावधान जिसके तहत जांच-पड़ताल, कर-निर्धारण अथवा पूछताछ की जाती है, और एक विवरण यह बताते हुए कि यह अनुरोध, अनुरोधकर्ता पक्ष के कानूनों और प्रशासनिक पद्धतियों के अनुरूप है, और यह कि यदि अनुरोधित सूचना अनुरोधकर्ता पक्ष के क्षेत्राधिकार में थी तो अनुरोधकर्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोधकर्ता पक्ष के कानूनों के तहत अथवा प्रशासनिक पद्धति की सामान्य प्रक्रिया के तहत यह इस करार के अनुरूप है सूचना प्राप्त करने में सक्षम होगा; और
- झ) यह विवरण देते हुए कि अनुरोधकर्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधन अपनाए हैं, सिवाए उनके, जो अत्यधिक कठिनाईयों को बढ़ाएंगे ।

7. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी शीघ्रातिशीघ्र अनुरोधित सूचना को अनुरोधकर्ता पक्ष को अग्रेषित करेगा। शीघ्र प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्न कार्य करेगा :

- क) अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध प्राप्ति की पुष्टि करेगा तथा अनुरोध में कमियों को, यदि कोई हों, अनुरोध की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा।
- ख) यदि अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोध की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर सूचना को प्राप्त करने एवं प्रदान करने में असमर्थ होता है, जिसमें सूचना को प्रस्तुत करने में पेश आई बाधाएं शामिल हैं अथवा सूचना प्रदान करने में उसकी अस्वीकृति है तो यह तत्काल अपनी असमर्थता, बाधाओं के स्वरूप अथवा अपनी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुरोधकर्ता पक्ष को सूचित करेगा।

अनुच्छेद 6 विदेश में कर जांच

1. अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर अनुरोधित पक्ष, अनुरोधकर्ता पक्ष को सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को इसके अन्तरदेशीय कानूनों के तहत अनुमत्य सीमा तक, व्यष्टियों अथवा अन्य संबंधित व्यक्तियों की पूर्व लिखित सहमति से व्यष्टियों के साक्षात्कार हेतु और रिकार्डों की जांच करने के लिए अनुरोधित पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। अनुरोधकर्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी, संबंधित व्यक्तियों के साथ अभिप्रेत बैठक के समय एवं स्थान के बारे में अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा।

2. अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, अनुरोधित पक्ष, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को अनुरोधित पक्ष में कर जांच के उपयुक्त भाग में प्रस्तुत रहने की अनुमति दे सकता है, जिस मामले में अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी जांच कर रहा हो, जांच के संबंध में समय एवं स्थान, जांच करने के लिए प्राधिकारी अथवा नामोदिष्ट अधिकारी तथा जांच कार्य आरंभ करने के लिए अनुरोधित पक्ष द्वारा अपेक्षित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र अधिसूचित करेगा। कर जांच के संचालन के संबंध में सभी निर्णय जांच संचालित करने वाले पक्ष द्वारा किए जाएंगे।

1712 GI/11-3

अनुच्छेद 7

सूचना हेतु अनुरोध को अस्वीकार करने की संभावना

1. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्न के संबंध में सहायता करने के लिए मना कर सकता है :

- क) जहां अनुरोध इस करार के अनुरूप नहीं किया गया हो ;
- ख) जहां अनुरोधकर्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधनों का अनुप्रयोग नहीं किया हो, सिवाय उनके जहां ऐसे साधनों का आश्रय लेने से अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होगी ; अथवा
- ग) जहां सूचना का प्रकटन अनुरोधित पक्ष की लोक नीति (ऑर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल होगा ।

2. यह करार एक संविदाकारी पक्ष पर निम्न बाध्यता को अधिरोपित नहीं करेगा :

- क) ऐसी सूचना देना जो किसी व्यापारिक, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक गोपनीयता अथवा व्यापार प्रक्रिया को प्रकट करेगी, बशर्ते कि अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 में वर्णित सूचना को सिर्फ इस कारण से ऐसे गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया के रूप में नहीं समझा जाएगा कि यह उस पैराग्राफ में वर्णित मापदण्ड को पूरा करती है;
- ख) इसके कानूनों और प्रशासनिक कार्यों से भिन्न प्रशासनिक उपाय करना बशर्ते इस उप-पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है, जो कि अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 के अंतर्गत संविदाकारी पक्ष की बाध्यताओं को प्रभावित करे ; अथवा
- ग) ऐसी सूचना प्राप्त करना अथवा प्रदान करना जो एक ग्राहक (अथवा उसके स्वीकृत कानूनी प्रतिनिधि) और व्यावसायिक कानूनी सलाहकार के बीच गोपनीय बातचीत को प्रकट करेगा, जहां ऐसी बातचीत को :
 - (i) कानूनी सलाह मांगने अथवा उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया हो; अथवा

- (ii) मौजूदा अथवा अपेक्षित कानूनी कार्यवाहियों में प्रयोग के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया हो।

आपराधिक प्रयोजन को बढ़ाने के उद्देश्य से रखी गई सूचना कानूनी विशेषाधिकार के अधीन नहीं होती है और इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जो एक व्यावसायिक कानूनी सलाहकार को एक ग्राहक का नाम एवं पता मुहैया कराने से रोकेगा जहां ऐसा करना कानूनी विशेषाधिकार का उल्लंघन करना नहीं होगा।

3. सूचना हेतु अनुरोध को इस आधार पर मना नहीं किया जाएगा कि कर दावा जिसके कारण अनुरोध किया गया है, विवादित है।

4. अनुरोधित पक्ष उस सूचना को प्राप्त करने अथवा प्रदान करने की अपेक्षा नहीं रखेगा जिसे अनुरोधकर्ता पक्ष प्रशासनिक प्रयोजन के लिए अथवा अपने कर कानूनों को लागू करने के लिए अथवा इस करार के अंतर्गत अनुरोधित पक्ष से किसी वैध अनुरोध के प्रत्युत्तर में अपने कानूनों के तहत इसी तरह की परिस्थितियों में प्राप्त करने के लिए असमर्थ होगा।

5. यदि संविदाकारी पक्ष सहमत हैं, कि इस करार के तहत सूचना संबंधी अनुरोध के कुछ अंश अपूर्ण हैं, जबकि अनुरोध के अन्य हिस्से करार की अपेक्षाओं को पूरा करते हों, तो अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी, ऐसी सूचना मुहैया कराएगा, जो अनुरोध के उस हिस्से के अनुकूल है, जो करार की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

6. अनुरोधित पक्ष सूचना हेतु अनुरोध को उस स्थिति में इंकार कर सकता है यदि सूचना के लिए अनुरोध आवेदक पक्ष द्वारा आवेदक पक्ष के कर कानून के उपबंध को अथवा उससे जुड़े किसी अपेक्षा को संचालित अथवा लागू करने के लिए किया जाता है, जो अनुरोधित पक्ष के राष्ट्रीय के प्रति उन्हीं परिस्थितियों में आवेदक पक्ष, के एक राष्ट्रीय की तुलना में पक्षपात करता है।

अनुच्छेद 8

गोपनीयता

इस करार के अंतर्गत एक संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्त की गई किसी सूचना को गोपनीय समझा जाएगा और इसे सिर्फ संबंधित संविदाकारी पक्ष के क्षेत्राधिकार में व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय एवं प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा, जो इस करार में शामिल करें के संबंध में उसके निर्धारण अथवा उनकी वसूली

अथवा उसके संबंध में प्रवर्तन अथवा अभियोजन अथवा उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण से संबंधित हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी, ऐसी सूचना का प्रयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए ही करेंगे। वे ऐसी सूचना को सार्वजनिक न्यायालय संबंधी कार्यवाहियों अथवा न्यायिक-निर्णयों में प्रकट कर सकते हैं। सूचना को अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी की तुरंत लिखित सहमति के बगैर किसी अन्य व्यक्ति अथवा हस्ती अथवा प्राधिकारी अथवा किसी अन्य क्षेत्राधिकार को (जिसमें विदेशी सरकार शामिल हैं) प्रकट नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 9

लागत

1. लागतें, जो अनुरोधित पक्ष के अंतरदेशीय कर कानूनों को संचालित करने की सामान्य प्रक्रिया में उपगत होंगे, को अनुरोधित पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा जब लागतें, सूचना के लिए अनुरोध को पूरा करने के प्रयोजन से की जाती हों। ऐसी सामान्य लागतों में सामान्य तौर पर आन्तरिक प्रशासन लागतें और कोई छोटी बाहरी लागतें शामिल होंगी।

2. अन्य सभी लागतें, जो सामान्य लागतें नहीं हैं, को असाधारण लागत समझा गया है और इन्हें अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा। असाधारण लागतों में निम्नलिखित शामिल हैं, परन्तु ये सीमित नहीं हैं :

- क) अनुसंधान करने के लिए तीसरे पक्षों द्वारा प्रभारित उचित शुल्क ;
- ख) दस्तावेजों के प्रतिलिपीकरण हेतु तीसरे पक्षों द्वारा प्रभारित उचित शुल्क ;
- ग) विशेषज्ञों से कार्य करवाने की उपयुक्त लागतें ;
- घ) अनुरोधकर्ता पक्ष को दस्तावेज़ देने के लिए उपयुक्त लागतें ;
- ङ.) सूचना हेतु एक विशिष्ट अनुरोध के संबंध में अनुरोधित पक्ष की मुकदमेबाजी संबंधी उपयुक्त लागतें ; और
- च) बयान अथवा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लागतें ।

3. किसी विशिष्ट मामले में, जहां असाधारण लागतों की 500 अमेरिकी डॉलर से अधिक बढ़ने की संभावना हो, संविदाकारी पक्ष यह निर्धारित करने के लिए विचार-विमर्श करेंगे कि अनुरोधकर्ता पक्ष अनुरोध करना जारी रखेगा और लागत को वहन करेगा।

अनुच्छेद 10 विधान का कार्यान्वयन

संविदाकारी पक्ष करार की शर्तों का अनुपालन करने और उसे प्रवर्तित करने के लिए किसी सभी आवश्यक विधान को अधिनियमित करेंगे ।

अनुच्छेद 11 भाषा

सहायता के लिए अनुरोधों और उनके उत्तरों को अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाएगा ।

अनुच्छेद 12 पारस्परिक करार विधि

1. जहां करार को कार्यान्वित करने अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में संविदाकारी पक्षों के बीच कठिनाइयां अथवा संदेह उत्पन्न होते हैं वहां सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से मामले को हल करने का प्रयास करेंगे । इसके अतिरिक्त, संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद 5 और 6 के तहत प्रयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं पर पारस्परिक रूप से सहमत होंगे ।
2. संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अंतर्गत करार करने के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे से सीधे ही बातचीत करेंगे ।
3. संविदाकारी पक्ष विवाद हल करने के अन्य रूपों पर भी सहमत होंगे ।

अनुच्छेद 13 प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी पक्ष इस करार को प्रवृत्त करने के लिए अपने संबंधित कानूनों के तहत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए राजनयिक माध्यमों के जरिए लिखित में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे ।
2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं की उत्तरवर्ती तारीख को लागू होगा और अनुच्छेद 1 में वर्णित सभी मामलों के संबंध में तथा करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाली सभी कराधेय अवधियों के लिए अथवा जहां कोई कराधेय अवधि नहीं है, करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख को अथवा उसके बाद उद्भूत सभी कर प्रभारों के लिए प्रभावी होगा ।

अनुच्छेद 14**समापन**

1. यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष इसे समाप्त नहीं कर देता है ।
2. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष इसके लागू होने की तारीख से तीन वर्षों की समाप्ति के बाद राजनयिक माध्यमों के जरिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को समापन की एक लिखित सूचना भेजकर करार को समाप्त कर सकता है ।
3. इस तरह का समापन, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा समापन के नोटिस की प्राप्ति की तारीख के बाद छह महीने की अवधि की समाप्ति के अनुवर्ती माह के प्रथम दिन को प्रभावी होगा । समापन की प्रभावी तारीख तक प्राप्त किए गए सभी अनुरोधों को करार के उपबंधों के अनुसार निपटाया जाएगा ।
4. यदि करार को समाप्त किया जाता है, तो संविदाकारी पक्ष करार के अंतर्गत प्राप्त की गई किसी भी सूचना के संबंध में अनुच्छेद 8 के उपबंधों के तहत बाध्य होंगे ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नासाऊ में वर्ष दो हजार ग्यारह के फरवरी माह के ग्यारहवें दिन प्रत्येक को हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में निष्पन्न किया गया है, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

बहामास राष्ट्रमण्डल की
सरकार की ओर से

ह0/

ह0/

(महामहिम मोहिन्दर ईस. ग्रोवर)
जमाइका में एवं साथ ही बहामास
राष्ट्रमण्डल के लिए अधिकृत
भारत के उच्चायुक्त

(माननीय जिवागो लैंग, एमपी)
बहामास राष्ट्रमण्डल की सरकार
में वित्त राज्य मंत्री